न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2023/355

आम जनता मण्डोर जरिये,

01. अखेराम पुत्र जीवण,
02. कजोडमल पुत्र जीवण,
03. रामप्रसाद पुत्र जीवण,
04. हनुमान पुत्र जीवण,
05. काली देवी पत्नि बल्लाराम,
06. नन्दकिशोर पुत्र पांचूराम,
07. सत्यनारायण पुत्र पांचूराम,
08. किशन पुत्र गंगाराम,
09. नाथू पुत्र गोपाल समस्त जाति यादव निवासी ग्राम मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर, राजस्थान।
10. रामसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवसी ग्राम मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

–अपीलान्ट्स

बनाम

01. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
02. उपखण्ड अधिकारी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:-

1 श्री हनुमान सिहाग एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

दिनांक:–22.07.2024

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समक्ष प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में एक प्रार्थना पत्र 21/523 दिनांक 23.11.2021 को इस आशय का पश किया कि ग्राम मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 886/2 रकबा 3 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन आबादी की तरमीम डी.आई.आर एल.एम.पी. योजना के अन्तर्गत गलत कर दी गई है जिसको दुरूस्त किये की प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत मण्डोर द्वारा दिनांक 23.11.2021 को पेश किया गया एव दिनांक 23.11.2021 को ही फर्द मौका रिपोर्ट बनायी गई एवं प्रार्थी को बिना सूचना दिये बिना ही उपखण्ड अधिकारी फागी द्वारा दिनांक 23.11.2021 को ही खसरा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नम्बर 886/2 आबादी भूमि की तरमीम प्रस्तुत नजरी नक्शें के अनुसार अन्यत्र जगह करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। चूँकि उक्त आराजी खसरा नम्बर 886/2 पर अपीलार्थीगण पुख्ता मकानात बने हुऐ है व अपीलार्थीगण करीबन 40–50 वर्षो से स्थायी निवास कर रहे थे, जिस स्थान पर अपीलार्थीगण निवास कर रहे थे वो स्थान पुरानी आबादी आराजी खसरा नम्बर 478 के लगवा था इसलिये ग्राम पंचायत मण्डोर के प्रस्ताव पर जिला कलक्टर जयपुर द्वारा दिनांक 10.10.1973 को आराजी खसरा नम्बर 886 किस्म चारागह भूमि में से खसरा नम्बर 886/2 रकबा 3 बीघा भूमि आबादी विस्तार किया गया है। जिस पर अपीलार्थीगण ने अपने पुख्ता मकानात बना लिये एवं पुख्ता मकान बनाये जाने के उपरान्त विधुत कनेक्शन लगवा लिये एवं ग्रामीण गोरव पथ योजना के अन्तर्गत पक्की सी.सी. रोड बनी हुयी है एवं उक्त आबादी के लगवा ही सरकारी विधालय व खेल मैदान के नाम आराजी खसरा नम्बर 886/3 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटित की गई है। उक्त विधालय को आवंटित भूमि के चारों तरफ पुख्ता बावड़ीवाल बनी हुयी है। अपीलार्थीगण जिस आबादी भूमि पर निवास कर रहे है, उक्त निवासी भूमि ग्राम पंचायत मण्डोर द्वारा अपीलार्थीगण के हक में पट्टे भी जारी कर रखे है परन्तु अपीलाधीन आदेश से उक्त आराजी खसरा नम्बर 886/2 की तरमीम दूसरी जगह कर देने के कारण अपीलार्थीगण के पुख्ता मकानात खसरा नम्बर 886/1 गै. मु. चारागाह भूमि में आ गये है। उक्त तरमीम को निरस्त करके दूसरी जगह करने क आदेश का ज्ञान अपीलार्थीगण को नायब तहसीलदार फागी द्वारा धारा 91 का नोटिस दिनांक 03.08.2023 को देने पर पता लगा कि अपीलार्थीगण के मकान जिस भूमि में बने हुये है उक्त आबादी भूमि की तरमीू निरस्त कर दी गई है। तब जाकर अपीलार्थीगण ने उक्त आदेश दिनांक 23.11.2021 की जानकारी दिनांक 24.07.2023 को नकल मिलने पर हुयी इससे पूर्व अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी कतई नही थी। इस प्रकार उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2021 अपीलार्थीगण को बिना सुने व बिना नोटिस जारी किये एकतरफा में पारित किया गया है जो विधि विधान व पत्रावली के तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश होने पर उसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर विधिवत सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश को ना तो दर्ज रजिस्टर किया गया व ना ही कोई नोटिस अपीलार्थीगण को जारी किया गया एवं अपीलार्थीगण को सुनवाई का मौका नही दिया गया। मात्र ग्राम पंचायत मण्डोर द्वारा प्रस्तुत प्राथ्रना पत्र दिनांक 23.11.2021 के आधार पर शिविर प्रभारी द्वारा मार्किंग भी नही है के आधार पर खसरा नम्बर 886/2 की जो डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के अन्तर्गत की गई सही तरमीम को निरस्त फरमाया गया है जो आदेश विधि विरूद्ध होने एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फराई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2021 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 886/2 रकबा 3 बीघा गैर मुमकिन आबादी की तरमीम दुरूस्ती का आदेश पारित किया है जो निरस्त फरमाया जाकर पूर्व में डी.आई.आर.एल.एम.पी. योजना के अन्तर्गत की गई तरमीम को यथावत रखी जाने के आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 886/2 रकबा 3 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी की डी.आई. एल.आर.एम.पी. योजना के अन्तर्गत की गई तरमीम को दुरूस्त किये जाने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत मण्डोर से आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण की जॉच पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से करवाये जाने पर खसरा नम्बर 886/2 रकबा 3 बीघा की तरमीम वर्तमान राजस्व नक्शा लठा में नही की गई एवं डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत उक्त खसरा नम्बर की तरमीम जहॉ पर पटटेधारी बसे हुए है, उस जगह नही करके अन्य जगह पर कर दी गई थी जिसे दुरूस्त करवाने हेतु तहसीलदार के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2021 विधि सम्मत होने से अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 24.07.2023 को प्राप्त होने से अपीलांट्स द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 10.10.1973 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 886 में 3 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटन किया गया है जिसका अलग से खसरा नम्बर 886/2 अंकित होकर नामान्तरकरण भी आबादी का स्वीकार किया जा चुका है। जिस भूमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत मण्डोर द्वारा लोगों को आवासीय पट्टे भी जारी किये किये गये है एवं पट्टे जारी किये जाने के पश्चात् लोगों द्वारा अपने पुख्ता मकानात बनाकर एवं पानी बिजली का कनेक्शन लेकर रहवास किया जा रहा है। उक्त भूमि का डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना अन्तर्गत तरमीम भी किया जा चुका है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी द्वारा प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2021 पारित किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः– अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2021 को निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।